तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/8/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 181 रकबा 44.18 बीघा भूमि मौजा विरधसिह की ढाणी, पटवार मण्डल नागडदा तह0 शिव मे अवस्थित है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है। जिसमे वादी संख्या 1 के पति का नाम कस्तुराराम व वादी संख्या 2 के पति का नाम लीलाराम अंकित है। वादीगण के पक्ष मे निष्पादित बेचान दिनांक 16.03.2005 रजिस्ट्री टंकण करवाते वक्त अपने अपने पतियों के नाम साधारण बोलचाल व घर के नामों के आधार पर वादीनी संख्या 1 के पति के रूप मे सही नाम सुरेन्द्र कुमार की जगह कस्तुराराम व वादीनी संख्या 2 के पति के सही नाम नरेन्द्र कुमार की जगह लीलाराम दर्ज कर दिया गया है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारि किये गये व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने वकालतनामा व ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी पैरोकार उप0। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन किया। वादीनी संख्या 1 के पति के रूप मे गलत नाम सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर कस्तुराराम व वादीनी संख्या 2 के पति के सही नाम नरेन्द्र कुमार के स्थान पर लीलाराम दर्ज कर दिया गया है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 181 रकबा 44.18 बीघा मौजा विरधसिंह की ढाणी, पटवार मण्डल नागडदा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी संख्या 1 के पति का नाम कस्तुराराम के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार व वादीनी संख्या 2 के पति का नाम लीलाराम के स्थान पर नरेन्द्र कुमार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– 1. श्रीमती उदी देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार
2. श्रीमती नोजी देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार
जति– कुमावत, नि0 भगवानोणियों की ढाणी तह0 शिव

बनाम

प्रतिवादी :– 1. श्रीमती लूणी देवी पत्नी चनणाराम, जाति– कुमावत, नि0 हेमानाडा तह0 शिव
2. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– 1. श्री देवीलाल कुमावत एडवोकेट– वादीनीगण।
2. प्रतिवादी संख्या 01 नरेन्द्रसिंह सियाग।
3. प्रतिवादी संख्या 02 राजपैरोकार उप0।

वाद सं 106/2019

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 26.08.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 181 रकबा 44.18 बीघा मौजा विरधसिंह की ढाणी, पटवार मण्डल नागडदा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी संख्या 1 के पति का नाम कस्तुराराम के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार व वादीनी संख्या 2 के पति का नाम लीलाराम के स्थान पर नरेन्द्र कुमार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 26.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:04:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: